PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rajasthan Patrika, Jaipur
Wednesday 4th February 2015, Page: 9
Width: 12.01 cms, Height: 23.60 cms, a4, Ref: pmin.2015-02-05.23.24

100 करोड़ की प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी, 5 गिरफ्तार

सूरत में नार्कोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई

ऑनलाइन फार्मा कंपनी की आड़ में विदेश भेजते थे प्रतिबंधित दवाएं

सूरत
surat@patrika.com

पूणागाम योगी चौक इलाके में गुजरात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो-अहमदाबाद (एनसीबी) ने एक गोदाम पर छापा मार प्रतिबंधित दवाइयां बनाकर ऑनलाइन बिक्री करने वाली एक कंपनी का भंडाफोड़ किया। गोदाम से करीब 100 करोड़ की कीमत की दवाइयों का जत्था जब्त कर कंपनी के पांच निदेशकों को गिरफ्तार किया। पांचों को कोर्ट में पेश करने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

एनसीबी-अहमदाबाद को खुफिया जानकारी बाद अधिकारियों ने सूरत में एक कोरियर कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा। छापे के दौरान वहां से तीन पार्सल बरामद किए। नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो गुजरात जोन के अधिकारी हरिओम गांधी के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों का नाम मोटा वराछा धर्मजीवन रॉ-हाउस निवासी अंकीत अरविंद पटेल, वराछा निलकमल पार्क सोसायटी निवासी दीपक हरजी मांगुकिया, पूणागाम समजुबा सोसायटी निवासी अशोक शंभु चोवटिया, वराछा सम्राट सोसायटी निवासी तरुण मगन बुटानी और नाना वराछा स्थित अमरदीप सोसायटी निवासी जैनिश ठाकरसिंह विरडिया है। पांचों ऑनलाइन फार्मा कंपनी चलाते थे। उन्होंने प्रोवाइजर फार्मा के नाम से एक कंपनी पंजीकृत करवाई थी और दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री करते थे। पूणागाम योगी चौक स्थित स्वस्तिक प्लाजा में उन्होंने गोदाम बना रखा था। नार्कोटिक्स विभाग को सूचना मिली थी कि सूरत की एक ऑनलाइन फार्मा कंपनी की ओर से कूरियर कंपनी के जरिए दवाइयों का संदिग्ध पार्सल भेजा जा रहा है। विभाग ने पार्सल जब्त कर उसकी फोरेंसिक जांच कराई तो दवाइयों के कन्टेन्ट में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ मिलाए गए होने का खुलासा हुआ। प्रतिबंधित दवाइयों का पार्सल विदेश भेजा जा रहा होने का और ऑनलाइन फार्मा कंपनी की आड़ में यह कारोबार चल रहा होने की पुष्टी होने के बाद से अधिकारी पिछले कुछ दिनों से निगरानी में थे। शनिवार को तीन अभियुक्त दवाइयां पार्सल कूरियर कंपनी में पहुंचाने जा रहे थे, तभी अधिकारियों ने तीनों को धर-दबोचा। इसके बाद अधिकारियों ने पूणागाम स्वस्तिक प्लाजा में स्थित गोदाम पर छापा मार अन्य दो निदेशकों को भी दबोचा। अधिकारियों ने गोदाम से 12 लाख प्रतिबंधित टेबलेट्स जब्त की। अधिकारियों के मुताबिक, इन दवाइयों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए कीमत है। अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्त फर्जी कंपनियों के नाम से ऑनलाइन ऑर्डर लेते थे और कुरीयर कंपनी के जरिए प्रतिबंधित दवाइयां यूएसए, यूके, केनेडा समेत के अलग-अलग देशों में भेजते थे। नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पांचों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने पांचों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

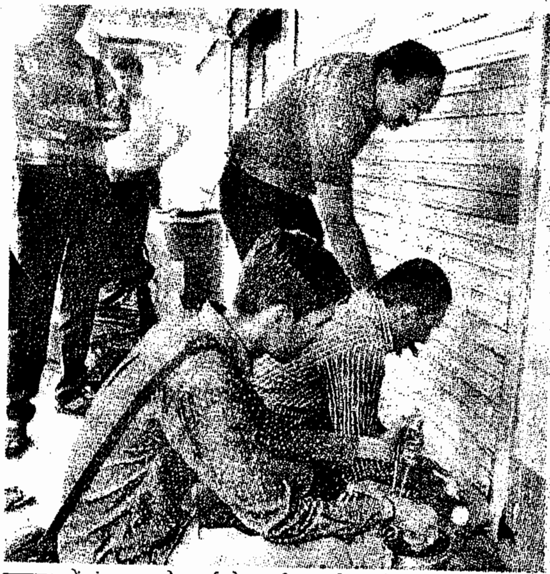

पूणागाम में मंगलवार को दवाई गोदाम सील करते एनसीबी अधिकारी।

ये मिली प्रतिबंधित दवाइयां

जांच के बाद इन पार्सलों से 4500 अलप्राजोलम एवं 470 ग्राम मिथाइल फेनेडेट नामक प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। पार्सल बुकिंग करने वाले आरोपितों की निशानदेही पर 289.4 किलोग्राम (ग्यारह लाख टेबलेट) अलप्राजोलम टेबलेट, जोलपीडेम की 14 हजार 310 टेबलेट, 21 हजार अन्य टेबलेट, 25 किलोग्राम का अन्य मटीरियल बरामद किया गया।